9	10	11	12	13	14
Not applicable	Two years	By promotion, failing which by transfer on deputation	(i) By promotion from among the stenographer Grade III in Central Indian Pharmacopoeia Laboratory, Ghaziabad and with 5 years regular service in the grade (ii) By transfer on deputation from amongst Stenographers Grade III under the subordinate offices of the Directorate General of Health Services and the Ministry of Health and Family Welfare and with 5 years regular service in the grade of Rs.330-10-380-EB-12-500-EB-15-560 (Period of deputation shall ordinarily not exceeding three years)	Group 'C' Departmental Promotion Committee Composition of Departmental Promotion Committee 1 Director, Central Indian Pharmacopoeia Laboratory, Ghaziabad—Chairman 2 Deputy Drugs Controller (India), Central Drugs Standard Control Organization (NZ), Ghaziabad—Member 3 Senior Scientific Officer, Central Indian Pharmacopoeia Laboratory, Ghaziabad—Member 4 Deputy Director Administration (Stores), Directorate General of Health Services, New Delhi—Member	Not applicable

[No. A 12018/5/81-DMS & PFA]
G PANCHAPAKESAN, Under Secy

सूचना और प्रसारण मंत्रालय

नई दिल्ली, 8 जुलाई, 1981

सा०का०नि० 722.—राष्ट्रपति संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा, प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, आकाशवाणी (समूह "क" पद) भर्ती नियम, 1963 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात् :—

1 (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम आकाशवाणी (समूह "क" पद) भर्ती दूसरा संशोधन नियम, 1981 है।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2 आकाशवाणी (समूह "क" पद) भर्ती नियम 1963 की अनुसूची में क्रम सं० 26 और उससे सम्बन्धित प्रविष्टियों के पश्चात् निम्नलिखित क्रम संख्यांक और प्रविष्टियां अन्तःस्थापित की जाएंगी अर्थात् :—

अनुसूची

पद का नाम	पदों की संख्या	वर्गीकरण	वेतनमान	चयन पद अथवा अचयन पद	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए आयु-सीमा	सेवा में जोड़े गए वर्षों का फायदा केन्द्रीय सिविल सेवा (पेंशन) नियम, 1972 के नियम 30 के अधीन अनुज्ञेय है या नहीं	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए शैक्षिक और अन्य अर्हताएं
1	2	3	4	5	6	6(क)	7
"27. उपनिदेशक प्रशासनिक प्रशिक्षण कर्मचारी प्रशिक्षण विद्यालय (कार्यक्रम)	एक	साधारण केन्द्रीय सेवा समूह "क" राजपत्रित, अलिपिकवर्गीय	1100-50-1600 रुपए	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता

सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित आयु और शैक्षिक अर्हताएं प्रोन्नति की दशा में लागू होंगी या नहीं	परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई हो	भर्ती की पद्धति/भर्ती सीधे होगी या प्रोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति/स्थानान्तरण द्वारा तथा विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों की प्रतिशतता	प्रोन्नति/प्रतिनियुक्ति/स्थानान्तरण द्वारा भर्ती की दशा में वे श्रेणियां जिनसे प्रोन्नति/प्रतिनियुक्ति/स्थानान्तरण किया जाएगा	यदि विभागीय, प्रोन्नति समिति है तो उसकी संरचना	भर्ती करने में किन-किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा
8	9	10	11	12	13
लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	प्रतिनियुक्ति पर स्थानान्तरण द्वारा	प्रतिनियुक्ति पर स्थानान्तरण केन्द्रीय सरकार के अधीन : (क) (i) सदृश पद धारण करने वाले अधिकारी ; या (ii) ऐसे अधिकारी, जिन्होंने 700-1300 रु० या समतुल्य वेतनमान के पदों पर 5 वर्ष सेवा की है ; या (iii) ऐसे अधिकारी, जिन्होंने 650/840-1200 रु० या समतुल्य वेतनमान के पदों पर 8 वर्ष सेवा की है ; और (ख) जिनके पास प्रशासनिक प्रशिक्षण पाठ्यक्रमों और उनसे सम्बन्धित विषयों को आयोजित करने/संचालित करने और समन्वय करने का अनुभव है । (प्रतिनियुक्ति की अवधि सामान्यतः 3 वर्ष से अधिक नहीं होगी ।)	लागू नहीं होता	प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति के लिए किसी अधिकारी का चयन करते समय और इन नियमों के किसी उपबन्ध को संशोधित/शिथिल करते समय संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करना आवश्यक है ।"

[सं० 12024/13/76—बी(ए)]
आर० बी० जोशी, अवर सचिव

MINISTRY OF INFORMATION & BROADCASTING

New Delhi, the 8th July, 1981

G.S.R. 722.—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution, the President hereby makes the following rules further to amend the All India Radio (Group 'A' Posts) Recruitment Rules, 1963, namely :

1. (1) These rules may be called the All India Radio (Group 'A' Posts) Recruitment (Second Amendment) Rules, 1981.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In the Schedule to the All India Radio (Group 'A' Posts) Recruitment Rules, 1963, after serial number 26 and the entries relating thereto, the following serial number and entries shall be inserted, namely :—

SCHEDULE

Name of post	No. of posts	Classification.	Scale of pay	Whether selection post or non selection post.	Age limit for direct recruits.	Whether benefit of added years of service admissible under rule 30 of the C.C.S. (Pension) Rules, 1972	Educational and other qualifications required for direct recruits.
1	2	3	4	5	6	6(a)	7
"27. Deputy Director (Administrative Training), Staff Training School (Programme).	1	General Central Service Group 'A' Gazetted Non-Ministerial.	Rs.1100-50-1600.	Not applicable.	Not applicable.	Not applicable.	Not applicable.

Whether age and educational qualifictions prescribed for direct recruits will apply in the case of promotees.	Period of probation,	Method of recruitment whether by direct recruit or by promotion or by deputation/transfer and percentage of the vacancies to be filled by various methods.	In case of recruitment by promotion/deputation/transfer, grades from which promotion/deputation/transfer to be made.	If a Departmental Promotion Committe exists, what is its composition.	Circumstances in which Union Public Service Commission is to be consulted in making recruitment.
8	9	10	11	12	13
Not applicable.	Not applicable.	By transfer on deputation.	Transfer on deputation : Officers under the Central Government : (A) (i) holding analogous posts; or (ii) with 5 years' service in posts in the scale of Rs. 700-1300 or equivalent; or (iii) with 8 years' service in posts in the scale of Rs. 650/840-1200 or equivalent; and; (B) possessing experience of organising/conducting and co-ordination of administrative training courses and matters connected therewith. (Period of deputation shall ordinarily not exceed three years).	Not applicable.	Consultation with the Union Public Service Commission necessary while selecting an officer for appointment on deputation and amending/relaxing any of the provisions of these rules".

[No. 12024/13/76-B(A)
R. D. JOSHI, Under Secy.

नई दिल्ली, 15 जुलाई, 1981

सा० का० नि० 723.—केन्द्रीय सरकार, प्रेस परिषद् अधिनियम, 1978 (1978 का 37) की धारा 25 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए प्रेस परिषद् नियम, 1979 का निम्नलिखित संशोधन करती है, अर्थात्:—

1. (i) इन नियमों का संक्षिप्त नाम प्रेस परिषद् (संशोधन) नियम, 1981 है।

(ii) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. प्रेस परिषद् नियम, 1979 में, नियम 10(1) के खण्ड (क) से (ज) तक के और उसके स्पष्टीकरण के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात् :—

(क) 1,50,000 से अधिक संख्या में बिकने वाले रजिस्ट्रीकृत समाचार पत्र और नियतकालिक पत्रिकाएं :
- (i) प्रत्येक दैनिक से 5000 रुपए प्रति वर्ष
- (ii) प्रत्येक अर्द्ध-साप्ताहिक/साप्ताहिक से 5000 रुपए प्रति वर्ष
- (iii) प्रत्येक पाक्षिक/मासिक से 2000 रुपए प्रति वर्ष
- (iv) सभी अन्य प्रवर्गों से 1500 रुपए प्रति वर्ष।

(ख) 100,000 से अधिक और 1,50,000 तक की संख्या में बिकने वाले रजिस्ट्रीकृत समाचार पत्र और नियतकालिक पत्रिकाएं :
- (i) प्रत्येक दैनिक से 3,500 रुपए प्रति वर्ष
- (ii) प्रत्येक अर्द्धसाप्ताहिक/साप्ताहिक से 2,000 प्रति वर्ष
- (iii) प्रत्येक पाक्षिक/मासिक से 1,500 रुपए प्रति वर्ष
- (iv) सभी अन्य प्रवर्गों से 1,000 रुपए प्रति वर्ष।

(ग) 50,000 से अधिक और 100,000 तक की संख्या में बिकने वाले रजिस्ट्रीकृत समाचार पत्र और नियत कालिक पत्रिकाएं :
- (i) प्रत्येक दैनिक से 2,500 रुपए प्रति वर्ष
- (ii) प्रत्येक अर्द्धसाप्ताहिक/साप्ताहिक से 1,500 रुपए प्रति वर्ष
- (iii) प्रत्येक पाक्षिक/मासिक से 1,000 रुपए प्रति वर्ष
- (iv) सभी अन्य प्रवर्गों से 750 रुपए प्रति वर्ष

(घ) 15,000 प्रतियों से अधिक और 50,000 प्रतियों तक की संख्या में बिकने वाले रजिस्ट्रीकृत समाचार पत्र और नियतकालिक पत्रिकाएं :
- (i) प्रत्येक दैनिक से 1000 रुपए प्रति वर्ष
- (ii) प्रत्येक अर्द्धसाप्ताहिक/साप्ताहिक से 600 रुपए प्रति वर्ष
- (iii) प्रत्येक पाक्षिक/मासिक से 400 रुपए प्रति वर्ष
- (iv) सभी अन्य प्रवर्गों से 300 रुपए प्रति वर्ष।

(ङ) 5,000 से अधिक और 15,000 तक की संख्या में बिकने वाले रजिस्ट्रीकृत समाचार पत्र और नियतकालिक पत्रिकाएं :
- (i) प्रत्येक दैनिक से 200 रुपए प्रति वर्ष
- (ii) प्रत्येक अर्द्धसाप्ताहिक/साप्ताहिक से 150 रुपए प्रति वर्ष
- (iii) प्रत्येक पाक्षिक/मासिक से 100 रुपए प्रति वर्ष
- (iv) सभी अन्य प्रवर्गों से 100 रुपए प्रति वर्ष।

(च) प्रत्येक वर्ग I समाचार अभिकरण से 5000/- रुपए प्रति वर्ष।

(छ) प्रत्येक वर्ग II समाचार अभिकरण से 3500/- रुपए प्रति वर्ष।

(ज) सभी अन्य समाचार अभिकरणों से 2500/ रुपए प्रति वर्ष।